"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 273] रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 जुलाई 2018 — श्रावण 6, शक 1940

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2018

अधिसूचना

क्रमांक 1567/1349/22-1/2018. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ ग्रामीण यांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

1. अनुसूची - एक में, सरल क्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	प्रमुख अभियंता	1	प्रथम श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-17	
1 (क)	मुख्य अभियंता	4	प्रथम श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-16"	

2. अनुसूची - दो में, सरल क्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"1.	प्रमुख अभियंता	1	-	100%	पदोन्नति हेतु उपयुक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता की दशा में	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 (क)	मुख्य अभियंता	4	-	100%	पदोन्नति हेतु उपयुक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता की दशा में."	

3. अनुसूची - चार में, सरल क्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1.	मुख्य अभियंता	2 वर्ष	प्रमुख अभियंता	मुख्य सचिव-अध्यक्ष विभागीय अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव-सदस्य संयुक्त सचिव/उप सचिव-सदस्य
1 (क)	अधीक्षण अभियंता	5 वर्ष	मुख्य अभियंता	मुख्य सचिव-अध्यक्ष विभागीय अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव-सदस्य संयुक्त सचिव/उप सचिव-सदस्य."

No. 1567/1349/22-1/2018.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Rural Engineering (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2014, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. In Schedule -I, for serial number 1 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	Engineer-in-Chief Chief Engineer	1	Class-I	Pay Matrix Level-17	
1 (A).	Chief Engineer	4	Class-I	Pay Matrix Level-16"	

2. In Schedule -II, for serial number 1 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"1.	Engineer-in-Chief	1	-	100%	In the event of non-availability of suitable persons for promotion	
1 (A).	Chief Engineer	4	-	100%	In the event of non-availability of suitable persons for promotion."	

3. In Schedule -IV, for serial number 1 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1.	Chief Engineer	2 years	Engineer-in-Chief	Chief Secretary - Chairman Departmental Additional Chief Secretary/Principal Secretary-Member Joint Secretary/Deputy Secretary-Member
1 (A).	Superintending Engineer	5 years	Chief Engineer	Chief Secretary - Chairman Departmental Additional Chief Secretary/Principal Secretary-Member Joint Secretary/Deputy Secretary-Member."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तारन प्रकाश सिन्हा, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.